रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241138 CG-DL-E-16122022-241138

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5631] No. 5631] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5867(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH53 के कि.मी. 502.800 से कि.मी. 510.000 (एडिमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कलेक्टर आफिस धुले) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१८/०९/२०२२ " को "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "सकाळ " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त नही हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है :

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

8373 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH53 के कि.मी. 502.800 से कि.मी. 510.000 (एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कलेक्टर आफिस धुले) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: धुळे								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम: धुळे							
	गांव का नाम: मुकटी							
1	145	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	कांचनबाई संभाजी पाटील, राजेंद्र धर्मा पाटील, विनायक धर्मा पाटील , यमुनाबाई भाईदास पाटील ()			
2	159	निजी	एग्रीकल्चर	0.39	भिमराव यशवंत पाटील , संदीप युवराज पाटील , चेतन सुधाकर पाटील , पवित्रा सुधाकर पाटील , कुंदन सुधाकर पाटील , सारंग विश्वास पाटील अपाक वडील , इंदूबाई नानाभाऊ पाटील , मगन मोहन पाटील , तुकाराम गोधा पाटील , विश्वास श्रीराम पाटील , विजय मोहन पाटील , सुरेखाबाई गल्लूदास पाटील , भुसन गल्लूदास पाटील , सुरेखा गल्लूदास पाटील			
3	284	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	प्रकाश रघुनाथ वाणी , बालकृष्ण रघुनाथ वाणी , कल्पना प्रकाश वाणी ()			
4	286	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	भालेराव विनायक पाटील , दिलीप			

					विनायक पाटील , नामदेव सिताराम पाटील , प्रमिलाबाई नामदेव पाटील ()
5	295	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	सुशीला सुरेश सैंदाने , विशाल दिलीप सैंदाने ()
6	297	निजी	एग्रीकल्चर	0.06	अशोक पंडित पाटील , राजेंद्र पंडित पाटील , निर्मलाबाई आनंदराव पाटील , नरेंद्र विलास पाटील ,वैशाली विलास पाटील , इंदूबाई विनायक पाटील ,अनिल विनायक पाटील , संतोष माधवराव पाटील , सुनील विनायक पाटील , रविंद्र विनायक पाटील
			कुल	0.67	

फा. सं. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

**S.O. 5867**(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under subsection (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 on the stretch of land from Km. 502.800 to Km. 510.000 (Administrative Building, Collector Office Dhule) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Times of India" and "Sakal" both dated 18/09/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have not been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 from Km. 502.800 to Km. 510.000 in the stretch of land from NH53 (Administrative Building, Collector Office Dhule) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA.

State	State: MAHARASHTRA District: DHULE								
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Dhule								
	Village: Mukti								
1	145	Private	Agriculture	0.05	Kanchanbai Sambhaji Patil, Rajendra Dharma Patil, Vinayak Dharma Patil, Yamunabai Bhaidas Patil				
2	159	Private	Agriculture	0.39	Bhimrao Yashwant Patil, Sandip Yuvraj Patil, Chetan Sudhakar Patil, Pavitra Sudhakar Patil, Kundan Sudhakar Patil, Sarang Vishwas Patil Apak Vadil, Indubai Nanbhau Patil, Magan Mohan Patil, Tukaram Godha Patil, Vishwas Shriram Patil, Vijay Mohan Patil, Surekhabai Galludas Patil, Bhusan Galludas Patil, Surekha Galludas Patil				
3	284	Private	Agriculture	0.1	Prakash Raghunath Wani, Balkrushna Raghunath Wani, Kalpana Prakash Wani				
4	286	Private	Agriculture	0.02	Bhalerao Vinayak Patil, Dilip Vinayak Patil, Namdev Sitaram Patil, Pramilabai Namdev Patil				
5	295	Private	Agriculture	0.05	Sushila Suresh Saindane, Vishal Dilip Saindane				
6	297	Private	Agriculture	0.06	Ashok Pandit Patil, Rajendra Pandit Patil, Nirmalabai Anandrao Patil, Narendra Vilas Patil,Vaishali Vilas Patil, Indubai Vinayak Patil,Anil Vinayak Patil, Santosh Madhavrav Patil, Sunil Vinayak Patil, Ravindra Vinayak Patil				
			TOTAL	0.67					

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director